प्रेस नोट-27

दिनांक- 27.11.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 01 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास एवं 6,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग मे अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 227/2023 धारा 411,413 भादवि थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त राजेन्द्र पासी पुत्र रामप्रसाद निवासी मछरा मजरे रोखाडीह थाना डीह जनपद रायबरेली को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 27.11.2024 को भादवि 413 में 01 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 411 में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा उ0नि0 श्री इंग्लेश तिवारी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 02.08.2023 को उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल बरामद होने की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 227/2023 धारा 411,413 भादवि थाना मोहनगंज जनपद अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री रामहिन्द द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-113 दिनांक 10.08.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।